न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

216

पीठासीन अधिकारी का नामः—काना राम,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—98/2023 विविध (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पेलक्स, मुम्बई महाराष्ट्र—400051 तथा शाखा कार्यालय—श्रीगंगानगर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास।

——प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री सत्यनारायण निवास पता—308 वार्ड नं. 04 भादरा श्रीगंगानगर।

एवं

सम्पत्ति पता—चक नं. 1 एन.एच.आर.ए. प्लॉट नं. 120—121, गौल्डन सिटी कॉलोनी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——ऋणी

2. श्रीमती तारा देवी निवास पता—308 वार्ड नं. 04 भादरा श्रीगंगानगर।

——सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

आदेश

दिनांकः—18.09.2024

आई.सी.आई.सी.आई होम फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पेलक्स, मुम्बई महाराष्ट्र—400051 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका शाखा कार्यालय श्रीगंगानगर, राजस्थान—335001 पर स्थित है जरिये प्राधिकृत अधिकारी राहुल व्यास की ओर से श्री रामकुमार विश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। कम्पनी के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है। श्री राहुल व्यास उक्त कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी है एवं प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, प्लीडिंग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक मे प्रार्थना—पत्र से संबधित समस्त कार्यवाही करने हेतु सरफेसी एक्ट, 2002 के प्रावधानो के अनुसार अधिकृत किया गया है।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या LHGAN00001339904, LHGAN00001339905, LHGAN00001339906 के द्वारा 3,60,000/- , 5,44,000/- व 40,967 रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति पता—प्लॉट नं. 120—121, गोल्डन सिटी कॉलोनी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो श्री सत्यनारायण के स्वामित्व की है, को आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

-2-

217

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत्त ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नहीं चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 04.04.2023 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है।

प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या LHGAN00001339904, LHGAN00001339905, LHGAN00001339906 में बकाया रूपये 3,79,375 + 6,48,681 + 45,256 = 10,73,312 (अक्षरे दस लाख तेरह हजार तीन सौ बारह रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 10.04.2023 तक शेष व देय निकलते है, की मांग हेतु उक्त अधिनियम कि धारा 13(2) के अन्तंगत दिनांक 10.04.2023 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो कि अप्रार्थीगण को तामील हो गये जिसका प्रकाशन हिन्दी अखबार प्रातःकाल व अंग्रेजी अखवार इकनॉमिक टाईम्स में दिनांक 25.08.2023 को प्रकाशित कराया गया। परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल संपत्ति पता–प्लॉट नं. 120–121, गोल्डन सिटी कॉलोनी, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जो श्री सत्यनारायण के स्वामित्व की है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 1.0.4.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़